3 पूल काउन्सिलिंग (राउंड 2)

POOL COUNSELLING (ROUND 2)

3.1 पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेजों में रिक्त सीटों को पूल काउंसलिंग से भरा जाता है।

After the first round of counselling is completed, the vacant seats in colleges are filled by pool counselling

3.2 पूल चरण 1: पंजीकरण

Pool Step 1 Registration

3.2.1 पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं।

For pool counselling only those candidates are eligible who have **not participated** in first round of counselling or those who **are rejected** or **not allotted** any college in round 1 or those who fail to take admission against the allotted seat.

3.2.1.1 जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी, लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया, उन्हें पूल काउंसलिंग (राउंड 2) में भाग लेने पर पूरी फीस देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फीस रु. 5000 उन्होंने राउंड 1 में भुगतान किया था वापस नहीं किया जाएगा।

Those candidates who were allotted seat in round 1 but did not pay the seat confirmation fee will have to pay full fees if they participate in the pool counselling (round 2). The advance college fee of Rs. 5000 they had paid in round 1 will not be refunded.

3.2.2 पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह ही है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात विकल्प भरना होगा।

Procedure for pool counselling is the same as that of the first counselling. Candidates have to register, pay the registration fee and full college fee and then fill the choices.

3.2.3 अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

Candidates have to login using their credentials. In case they have forgotten the password they can regenerate it through the link provided.

3.2.4 लॉग इन करने पर उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण भरना होगा।

Upon login they have to fill the details of the bank account.

3.2.5 2021 में अर्हता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी जिनका अर्हता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, उन्हें अपने अंक भरने होंगे और अपनी मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

Candidates appearing in the qualifying examination in 2021 and whose result has been declared have to enter the marks and upload the scanned copy of their mark sheet.

3.3 पूल चरण 2 : काउन्सिलिंग शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान

Pool Step 2 Counselling fee and Full College fee payment

3.3.1 अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में रु. 750.00 व रु.51250.00 पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में (जो अप्रतिदेय है) जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी।

Counselling fee is Rs. 750.00 which is non refundable. They have to also deposit Rs. 51250.00 as full college fee. This amount will not be refunded if the candidate is allotted a college.

3.4 पूल चरण 3 विकल्प भरना

Pool Step 3 Choice Filling

3.4.1 च्वाइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित विवरण को सत्यापित करना होगा

Before choice filling the candidates have to verify the following

3.4.2 संस्कृत के लिए विकल्प : यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों (3) वर्षों में संस्कृत है और संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेना का इच्छुक है तो अभ्यर्थी को **हां** का चयन करना होगा।

Option for Sanskrit. Candidate has to select “Yes” If the candidate has Sanskrit in their all three (3) years of graduation and wants toget admission in Sanskrit colleges.

3.4.3 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग **(Gender)** को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प। डिफ़ॉल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।

Option to correct their gender in case it is incorrect. By default this is set on the option they have filled in the online application form.

3.4.4 काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे

Candidates registered for counselling have to fill their choices according to their preferences.

3.4.5 अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं।

Candidates can give as many choices as they want.

3.4.6 निचली रैंक के अभ्यर्थियोंको सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें।

Lower rank candidates are advised to give more choices to avoid rejection in allotment.

3.4.7 अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पूर्वावलोकन और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है।

Choices can be previewed and rearranged any number of times till final submission.

3.4.8 विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिये। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वह खो जाएगा।

Choices can be filled in multiple sessions. There is option to save these choices before logging out. Data not saved will be lost.

3.4.9 अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम हैं और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार, अपने स्वयं के हित में, अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्पों को भरना होगा।

The choices filled by the candidate are final and cannot be changed once locked. **Thus in their own interest, candidates must fill in a sufficiently large number of choices of college in required order of preference.**

3.4.10 यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है, लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद लॉक नहीं किया गया है, तो यह सीट आवंटन से पहले स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा।

If a candidate has submitted the choices but not locked after last date of choice filling is over, it will automatically be locked before seat allotment.

3.5 पूल चरण 4 कॉलेज आवंटन

Pool Step 4: College Allotment

3.5.1 कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक (State-Rank) के साथ–साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा।

College allotment will be done strictly on the basis of state rank of the candidate as well as the colleges they have selected in order of preference during counselling.

3.5.2 राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा।

State reservation policy to be followed on Aided and Government colleges only.

3.5.3 सहायता प्राप्त, सरकारी और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पालन किया जाएगा।

EWS reservation to be followed in Aided, Government and Self Financing Colleges.

3.5.4 सीट आवंटन परिणाम अभ्यर्थी की लॉगिन पर उपलब्ध होगा।

Seat allotment result will be available on candidate login.

3.6 पूल चरण 5 : अनंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र डाउनलोड

Pool Step 5: Provisional Allotment cum Confirmation letter download

3.6.1 जिन अभ्यर्थियोंको कॉलेज आवंटित किया गया है, उन्हें जेईई बी.एड 2021 की वेबसाइट से अनंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड करना होगा।

Candidates who have been allotted college will have to download Provisional Allotment cum Confirmation letter through the JEE B.Ed. 2021 website.

3.6.2 यदि कोई अभ्यर्थी, जिसे महाविद्यालय आवंटित किया गया है, महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की 51250.00 रुपये की फीस वापस नहीं की जाएगी।

If any candidate, to whom college is allotted, does not report to college then the college fee of Rs 51250.00 will not be refunded.

3.6.3 यदि पूल काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया जाता है तो कॉलेज की फीस रु. 51250.00 उसके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग पंजीकरण के समय दिया गया है।

If no college is allotted to a candidate in pool counselling then college fee of Rs. 51250.00 will be refunded to his/her bank account whose details are given by the candidate at the time of counselling registration.

3.7 चरण 6 : आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना।

Step 6: Report to allotted college

3.7.1 अभ्यर्थी को आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ सभी मूल दस्तावेजों के साथ आवंटन की तारीख से तीन दिनों के भीतर आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा।

The candidate has to report to allotted college within Three days from the date of allotment with all the original documents along with allotment cum confirmation letter.

3.7.2 आबंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

The original documents of the candidates will be physically verified by the Principal of the allotted college.

3.7.3 यदि अभ्यर्थियोंके दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं पाए जाते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

If the documents of candidates are not found valid by the college authority, his/her candidature shall be cancelled.

3.8 रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents required for reporting

3.8.1 अभ्यर्थियोंको निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल और स्वप्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी

Candidates would need to carry the originals and self attested copy of the following documents

3.8.2 लखनऊ विश्वविद्यालय पोर्टल से अनंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिंटआउट

Printout of the provisional Allotment cum Confirmation letter from Lucknow University Portal

3.8.3 जेईई बी॰एड॰ के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति।

Copy of Application form, Admit Card and score card of the J.E.E. B.Ed. 2021

3.8.4 जन्म तिथि का प्रमाण : १० वीं कक्षा का प्रमाण पत्र

Proof of Date of Birth: Class 10th certificate

3.8.5 अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र।

All Mark Sheets and Certificates upto Qualifying Examination.

3.8.6 निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उप श्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र

Category, sub category and weightage Certificates in original in the prescribed format

3.8.7 सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र

Original photo ID issued by Government

3.8.8 अभ्यर्थी के दो पासपोर्ट आकार के फोटो

Two passport sized photographs

3.8.9 सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां

Copies of all Fees Receipts